

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई-26/राजप/प्री-पीजी-2009/2010/302

दिनांक : 25-6-10

निदेशक(ई0एस0आई0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0जयपुर।

समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।

समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

विषय:- स्नात्कोत्तर अध्ययन हेतु चयनित सेवारत चिकित्सा अधिकारियों को कार्यमुक्त करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कन्वीनर पी0जी0 एडमिशन बोर्ड, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एस0पी0 मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर के पत्रांक: पं0 24/एकेड/ पीजी काऊंसिलिंग-2010/एसपीएमसी/स्पे0-3, स्पे0-5 दि0 14.4.2010, 1030 दिनांक: 7.4.2010 एवं 7 दिनांक 25.06.2010 के द्वारा आपके अधीन कार्यरत चिकित्सक जो कि स्नात्कोत्तर अध्ययन हेतु सेवारत कोटे के तहत चयनित हुये है के कम में सभी नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता उन्हें स्नात्कोत्तर अध्ययन हेतु कार्यमुक्त करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम भाग-2 में निर्धारित प्रारूप जो उन पर लागू हो, के अनुसार परिशिष्टों में दिये हुये है, में बन्ध पत्र भरवाकर प्राप्त करने के उपरान्त ही स्नात्कोत्तर अध्ययन हेतु आवंटित मेडीकल कॉलेज को कार्यमुक्त करें। अनुपालना नहीं करने पर सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा! यह निर्देश राज्य सरकार की आई.डी. संख्या 1685/एम-2/09 दिनांक 15.12.09 एवं 842/एम-2/10 दिनांक 24.05.2010 के कम में जारी किये जा रहे है।

साथ ही जिन चिकित्सकों का चयन स्कील अपग्रेडेशन कोर्स (6 माह) में हुआ है तथा कोर्स कर रहे है उन्हें कार्यमुक्त होने पर पूर्व दिनों का अवकाश स्वीकृत करवाना होगा।

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर 25/6/10

क्रमांक : ई-26/राजप/प्री-पीजी-2009/2010/302

दिनांक : 25-6-10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके आई.डी. संख्या 1685/एम-2/09 दिनांक 15.12.09 एवं 842/एम-2/10 दिनांक 24.05.2010 के कम में।
3. समस्त प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह राजस्थान।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस पत्र को तुरन्त संबंधित बैवसाईट/इन्टर नेट पर डालते हुये समस्त अधिकारियों को ई-मेल भी करावें।

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर 25/6/10